न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **351/2017** दायर दिनाँक **12.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. गुलाब पुत्र करीमखाँ, उम्र–65साल, जाति–भाट, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. पक्षकारान्।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **08.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मीर कुआँ की ढाणी मं खसरा नम्बर 2051 रकबा 01.07 वादी के हक अधिकार व कब्जाकाश्त की घोषित की जावे व वादी का नाम दर्ज किया जावे।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक 700 दिनाँक 12.04.2018 के अनुसार, खसरा नम्बर 2051 रकबा 01.07 बीघा की खातेदारी– "सेतान वल्द.......... कौम–जाट साकिन सूपका" दर्ज है। उक्त खसरा मौके पर खाली है एवं अस्थाई टिन सेड बना हुआ है, जिस पर गुलाब पुत्र करीमखाँ गाँव सूपका लिखा हुआ है।

न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प–सूपका में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित।

प्रकरण के सम्बन्ध में मजमे आम में जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार वादग्रस्त भूमि, वादी की होना, सामने आया है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट क्रमांक 700 दिनाँक 12.04.2018 व राजस्व कोर्ट दिवस को मजमे आम में प्राप्त जानकारी के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री सादिर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादी, बाद विवेचना, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 351/2017
दायर दिनाँक 12.12.2017, निर्णय दिनाँक 08.05.2018
गुलाब बनाम् तहसीलदार डीडवाना।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **मीर कुआँ की ढाणी** में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 01.07 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज "शैताना पुत्र..................कौम जाट साकिन सूपका" के स्थान पर "गुलाब पुत्र करीमखाँ, जाति–भाट, साकिन–सूपका" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सूपका

निर्णय, आज दिनाँक **08.05.2018** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सूपका

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **351/2017** दायर दिनाँक **12.12.2017**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. गुलाब पुत्र करीमखाँ, उम्र–65साल, जाति–भाट, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **08.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **पक्षकारान् उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **मीर कुआँ की ढाणी** में वादग्रस्त/वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 2051 रकबा 01.07 बीघा के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज "शैताना पुत्र.................. कौम जाट साकिन सूपका" के स्थान पर "गुलाब पुत्र करीमखाँ, जाति–भाट, साकिन–सूपका" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **08.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सूपका

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सूपका

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–351–2017/रीडर/2018/525 दिनाँक 16.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. गुलाब पुत्र करीमखाँ, उम्र–65साल, जाति–भाट, निवासी–सूपका, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना।
कोर्ट कैम्प–सूपका

Scanned by CamScanner